संख्या- 25/2017/1643/सत्रह-म-2017-10 -5 (8) / 98 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
मत्स्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 08सितम्बर, 2017

विषय: मत्स्य विभाग के नियत्रंणाधीन 19 मत्स्य पालक विकास अभिकरण के सीधी भर्ती के कार्मिकों को वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 291/ स्था0शा0 दिनांक 15-05-2017 एवं पत्र संख्या- 501/ स्था0शा0/ 2017-18/ 19 अभिकरण, दिनांक 15-07-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से ए0सी0पी0 की अनुमन्यता के सम्बंध में 19 मत्स्य पालक विकास अभिकरणों की गवर्निंग बाडी / प्रबन्ध समिति से अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त हो जाने तथा ए0सी0पी0 की सुविधा दिये जाने पर आने वाले व्यय-भार की बजट व्यवस्था से अवगत कराते हुए ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मत्स्य विभाग में 19जनपदों (आजमगढ, बलिया,गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ, वाराणसी,गाजीपुर, जौनपुर,लखनऊ,उन्नाव,रायबरेली,गोण्डा, बदायूँ, मेरठ) में विद्यमान 19 मत्स्य पालक विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती के कार्मिकों को वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) की सुविधा दिनांक 01-12-2008 से प्रकल्पित रूप से अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या – वे0आ0-2-773/दस-62 (एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 05 नवम्बर 2014 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य किये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- यू0डी0 ई-2-/645 /दस-17, दिनांक: 07 सितम्बर,2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

संख्या- 25/2017/1643(1)/सत्रह-म-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- संयुक्त निदेशक (मत्स्य) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार प्रकरण में तत्काल समस्त वांछित अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
2- सम्बंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3- सम्बंधित मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशाषी निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस सम्बंध में तत्काल समस्त वांछित अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
4- सम्बंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
5- सम्बंधित उप निदेशक मत्स्य / सहायक निदेशक मत्स्य उत्तर प्रदेश ।
6- सम्बंधित कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
7- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2/वित्त(वेतन आयोग)अनुभाग-2 ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।